



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-07122021-231667
CG-DL-W-07122021-231667

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, नवम्बर 28—दिसम्बर 4, 2021, शनिवार/अग्रहायण 7—अग्रहायण 13, 1943
No. 26] NEW DELHI, NOVEMBER 28-DECEMBER 4, 2021, SATURDAY/AGRAHAYANA 7-AGRAHAYANA 13, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आदेश

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2021

आ.अ. 297.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 57-कुरुद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी:

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धमतरी, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रघुनंदन साहू जो छत्तीसगढ़ के 57-कुरुद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले जनता दल (यूनाइटेड) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धमतरी, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रघुनंदन साहू को कारण बताओ नोटिस दिनांक 02 मार्च, 2021 को जारी किया गया था:

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02 मार्च, 2021 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री रघुनंदन साहू को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें:

और यतः, उक्त नोटिस श्री रघुनंदन साहू द्वारा दिये गये पते पर दिनांक 05 जुलाई, 2021 को चस्पा करा दिया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, धमतरी द्वारा अपने दिनांक 05 जुलाई 2021 के पत्र सं0 329/सा.निर्वा./34-व्यय लेखा/2021 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है:

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धमतरी द्वारा अपने दिनांक 02 सितंबर, 2021 के पत्र सं0 485/सा.निर्वा/वि.स.नि./34.-व्यय लेखा/2021 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रघुनंदन साहू ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है:

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रघुनंदन साहू निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन साल की कालावधि के लिए निरर्हित होगा

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 57-कुरुद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण

निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले जनता दल (यूनाइटेड) के अभ्यर्थी श्री रघुनंदन साहू, ग्राम, गुजेरा, पोस्ट-मारो, जिला-बेमेतरा, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

[फा. सं. छ.ग./वि.स./पूर्व अनु- 1/57/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 2nd December, 2021

O.N. 297.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **57-Kurud** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **10th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Dhamtari** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Raghunandan Sahu**, a contesting candidate of **Janta Dal (United)** from **57-Kurud** Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Dhamtari** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **2nd March, 2021** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Raghunandan Sahu** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **2nd March, 2021**, **Sh. Raghunandan Sahu**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was pasted on **05th July, 2021** at the address given by Shri Raghunandan Sahu. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Dhamtari** vide his letter No. **329/सा.निर्वा./निर्वा./34-व्यय लेखा/2021** dated, **5th July, 2021**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Kurud** vide his letter No. 898/ सामा. निर्वा/नोटिस/2021 dated **2nd September, 2021** has stated that **Sh. Raghunandan Sahu**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Raghunandan Sahu**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Raghunandan Sahu, Vill-Gujera, Post-Maaro, Dist-Bemetara, Chhattisgarh** and and a contesting candidate of **Janta Dal (United)** for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **57- Kurud** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. CG-LA/ES-I/57/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Sr. Principal Secy.